

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

क्रमांक C/3985 /
दो-13-28/2017

// आदेश //

जबलपुर, दिनांक 23 / 09 / 2017

1. श्री राजु पुरोहित,
2. श्री पंकज बलूनी,
3. श्री बलराम सोलंकी,

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर जिनकी सेवाएं रजिस्ट्री आदेश क्रमांक सी/3717 जबलपुर, दिनांक 06.09.2017 द्वारा आवश्यकता न होने के कारण समाप्त की गई है, का सेवा समाप्ति आदेश वापस (Recall) लेते हुए उन्हें पुनः सेवा में दिनांक 06.09.2017 से बहाल करते हुए निर्देशित किया जाता है, कि पुनः कदाचार की पुनरावृत्ति करने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जावेंगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


Sd/-
(मो. फहीम अनवर)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक C/3986 /
दो-13-28/2017

जबलपुर, दिनांक 23 / 09 / 2017

प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
 2. रजिस्ट्रार प्रशासन / -कम-पी.पी.एस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी(लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
 4. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, इंदौर,
 6. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 7. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 8. अनुभाग अधिकारी स्थापना / लेखा / बजट / पेशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
 9. सहायक, स्थापना / सेवा पुस्तिका / वेतन पत्रक / प्रोटोकॉल ऑफिसर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 10. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 11. श्री राजु पुरोहित, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
 12. श्री पंकज बलूनी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
 13. श्री बलराम सोलंकी, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
- की और सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(चन्द्रेश कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)